राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
50/23	05.09.23	21.11.24

बउनवान

1. अमरसिंह पुत्र रेवडया आयु 66 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. उगन्ती पत्नि रामनिवास आयु 50 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. डार्विन पुत्र रामनिवास आयु 20 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. उगन्ती पत्नि बद्री आयु 52 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. लोकेश कुमार पुत्र बद्री आयु 25 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. सुमन पुत्री बद्री पत्नि धर्मेन्द्र आयु 22 वर्ष जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल पिनान तहसील राजगढ जिला अलवर।
7. नीतू पुत्री बद्री आयु 19 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम आयु 42 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. मनीष पुत्र श्रीराम आयु 38 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
10. बिजेन्द्र पुत्र श्रीराम आयु 30 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
11. सरोज पुत्री श्रीराम पत्नि कैलाशचन्द आयु 35 वर्ष जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल नि. मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
12. कंचन बाई पुत्री घीस्या पत्नि मोहनलाल आयु 62 वर्ष जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल नि. बाबडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
13. केश्या पुत्र घीस्या आयु 58 वर्ष जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
14. विमला पुत्री घीस्या आयु 56 वर्ष पत्नि गंगासहाय जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल नि. मातासूला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुरसिटी।
15. बाबूलाल पुत्र भौरीलाल आयु 41 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
16. श्यामलाल पुत्र भौरीलाल आयु 44 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
17. कैलाश पुत्र भौरीलाल आयु 38 वर्ष निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
18. बत्तो देवी पत्नि भौरीलाल आयु 50 वर्ष निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
19. रिंकू पुत्र राजू आयु 29 वर्ष जाति मीना निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
20. मंजू पुत्री राजू पत्नि विनोद आयु 25 वर्ष जाति मीना निवासी गढ़ हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल नि. सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
21. मनीषा पुत्री राजू पत्नि रोहिताश आयु 32 वर्ष जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर हाल नि. मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

...प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र घूड्या आयु 56 वर्ष निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. महेश पुत्र गोपाल आयु 50 वर्ष निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. सुरेश पुत्र गोपाल आयु 45 वर्ष निवासी गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

5. उप पंजीयक मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री धर्मसिंह राजपूत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि (विवादित आराजीयात) आराजी खसरा नम्बर 784 रकबा 0.45 है., नम्बर 785 0.25 है., 786 रकबा 0.05 है., 787 रकबा 0.38 है. 788 रकबा 0.16 है., 789 रकबा 0.43 है., 790 रकबा 0.08 है., 791 रकबा 0.05 है., 792 रकबा 0.35 है., 793 रकबा 0.03 है., 794 रकबा 0.45 है., 795 रकबा 0.47 है., 796 रकबा 0.06 है, 797 रकबा 0.08 है., 798 रकबा 0.36 है. कुल किता 15 कुल रकबा 3.65 हैक्टयर वाके ग्राम गढ़ हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसे प्रार्थना हाजा में आराजी मुतनाजा के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल संख्या 1 का 1/9 भाग, सायल संख्या 2 व 3 का 1/9 भाग, सायल संख्या 4 लगायत 7 का 7/90 भाग, सायल संख्या 8 लगायत 11 का 7/90 भाग, सायल संख्या 12 का 1/90 भाग, सायल संख्या 13 का 7/90 भाग, सायल संख्या 14 का 1/90 भाग, सायल संख्या 15 लगायत 18 का 1/9 भाग, सायल संख्या 19 लगायत 21 का 7/90 भाग, गैरसायल संख्या 1 का 1/6 भाग तथा शेष 1/6 भाग गैरसायल संख्या 2 लगायत 3 का मौजूद जमाबंदी है तथा इसी हिस्सानुसार मौके पर सायलान व गैरसायलान बिना विभाजन के ही काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी का अभी तक कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 बडे चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने चतुराई करके उक्त आराजी में से अच्छी अच्छी यानि रास्ते पास वाली आराजी को अपने कब्जे में ले लिया तथा सायलान सभी को पीछे की भूमि दे दी जिसमें रास्ता भी नही है जबकि उक्त आराजी सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक आराजी है जिसका कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स होना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया जाकर कीमती व अच्छी जमीन को तो अपने कब्जे में ले लिया तथा जो जमीन रास्ते से दूर है उस जमीन को सायलान सभी को दे दिया जबकि पैतृक सम्पत्ति में से भूमि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी सभी सहखातेदारों को मिलनी चाहिये थी जो उन्हें नही दी गयी तथा रास्ता के पास वाले खेतों की पुख्ता बाउण्ड्रीवाल गैरसायलान कर उस पर निर्माण करना चाहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कराये बिना ही उक्त निर्माण कार्य मात्र इसलिये करना चाहते है कि वो सायलान को उनके हिस्से के अनुसार रास्ता के पास वाली भूमि को नहीं दें तथा बंटवारा स्कीम आने के वक्त उस पर किये जा रहे निर्माण के आधार पर अपना कब्जा बता सके। जिससे मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा नहीं हो सके। गैरसायलान द्वारा उक्त आराजी में निर्माण हेतु दिनांक 23.08.2023 को नींव खुदाई हेतु तथा सायलान को उनके कब्जेशुदा आराजी में आने जाने हेतु छोडे रास्ते को बन्द करने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। उसके बाद जैसे ही सायलान को जानकारी हुई तो सायलान द्वारा उनसे इस बाबत मना किया तथा उक्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने को कहा जिससे सभी को उनके हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

व बुरी में से बुरी जमीन प्राप्त हो जावे तथा उसके बाद अपने अपने हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य कर सके लेकिन गैरसायलान जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी देने लग गये तथा गैरसायलान द्वारा विधिवत विभाजन कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यदि गैरसायलान अपनी उपरोक्त कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उन्हें किसी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। उक्त आराजी सहखातेदारों की आराजी है जिसमें गैरसायलान द्वारा पुख्ता निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया तो प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिससे सायलान का प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान द्वारा बिना विभाजन कराये ही निर्माण कार्य कर लिया तथा अच्छी अच्छी भूमि पर निर्माण कर लिया तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर लिया तो प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उन्हें किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इसलिये उनको पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अर्ज है कि गैरसायलान को तादौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से में पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करें तथा अच्छी अच्छी भूमि को नहीं रोके तथा सायलान को उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करे, ना किसी दीगर व्यक्तियों से करावें। मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीवद्ध किया गया तथा उभयपक्षकारान को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि उभय पक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 कुल किता 15 कुल रकबा 3.65 हैक्टे. वाके ग्राम गढहिम्मतसिह तहसील मंडावर जिला दौसा के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से में पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करें तथा अच्छी अच्छी भूमि को नहीं रोके तथा सायलान को उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करे ना किसी दीगर व्यक्तियों से करावें मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम गढहिम्मतसिह तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। सहखातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान बिना विभाजन हुए यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। साथ ही विवादित आराजीयात पर यदि निर्माण हो जाता है एवं अप्रार्थीगण बिना विभाजन अच्छी भूमि पर काबिज हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को भारी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

असुविधा होगी। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात की स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन रोकने, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए पक्षकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम गढहिम्मतसिह तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.09.2023 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक इस आशय से कन्फर्म (**Confirm**) किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से में पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करेंगे, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत नहीं करेंगे तथा प्रार्थना पत्र के उभय पक्षकार विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय दिनांक 21.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)